भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3624

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में बढ़ती चूक और सम्बद्ध जोखिम

3624. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री गौरव गोगोई:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि सूक्ष्म वित्त ऋण चूक में 163 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह वित्त वर्ष 2024-25 में 43,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है;

(ख) चूक में इस तीव्र वृद्धि, खासकर छोटे उधारकर्ताओं के बीच, के लिए सरकार द्वारा किन कारकों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने एनबीएफसी-एमएफआई, लघु वित्त बैंकों और व्यापक ऋण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उत्पन्न वित्तीय जोखिम का आकलन किया है; और

(घ) क्या सरकार सूक्ष्म ऋण पोर्टफोलियो में और गिरावट को रोकने के लिए किसी सुधारात्मक ढांचे पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के कार्यकलापों एवं कार्य-निष्पादन की निरंतर निगरानी करता है। जैसा कि आरबीआई के जून 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में सूचित किया गया है, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियां 31-180 दिनों के बकाया (डीपीडी) के साथ सितंबर 2024 में 4.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 6.2 प्रतिशत हो गईं। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र ने अपनी सूक्ष्म वित्त ऋण पुस्तिका (लोन बुक) में दबाव में वृद्धि देखी, जिसमें 31-180 डीपीडी सितंबर 2024 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 6.5 प्रतिशत हो गया। तथापि, तीन या अधिक उधारदाताओं से ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के हिस्से द्वारा आंकी गई उधारकर्ताओं की ऋणग्रस्तता में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सूक्ष्म वित्त चूक में वृद्धि का कारण सामान्यत: उधारकर्ताओं के बीच ऋणग्रस्तता में वृद्धि अथवा अधिक लाभ उठाना, संयुक्त देयता समूह ढांचे का कमजोर होना, प्राकृतिक आपदाएं आदि हैं।

(ग): जून 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह भी बताया है कि समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन में सुधार हुआ है, जैसा कि बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई) द्वारा दर्शाया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान मजबूत हुआ और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की पूंजी की स्थिति विनियामकीय न्यूनतम से बहुत अधिक रही।

(घ): सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) आरबीआई द्वारा विनियमित की जाती हैं और सूक्ष्म ऋण पोर्टफोलियों में दबाव की समय पर पहचान करने और सुधार करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा कई पहल की गई हैं जिनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियमों में उधारदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऋण प्रदान करने से पहले उधारकर्ताओं का उचित ऋण मूल्यांकन करें, जिसमें उनकी आय के स्रोतों, घरेलू व्यय और मौजूदा ऋणों का सत्यापन करना शामिल है।

ii. ग्राहकों को अधिक ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए, मासिक आय के प्रतिशत के रूप में मासिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर 50% की सीमा निर्धारित की गई है।

iii. विनियमित निकायों (आरई) में स्पष्ट रूप से अंकित घटकों के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर नीति होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, विनियमों में यह निर्धारित किया गया है कि ब्याज दरें और अन्य प्रभार अतिब्याज नहीं होंगे।

iv. सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के स्व-विनियामकीय संगठन (एसआरओ), अर्थात्., सा-धन और सूक्ष्म वित्त उद्योग नेटवर्क (एमएफआईएन), ने अपने सदस्यों के लिए मार्गनिर्देश जारी किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ -साथ, एक उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता को सीमित करने के साथ-साथ उधारदाताओं की संख्या को सीमित करना जो एक उधारकर्ता को ऋण दे सकते हैं, शामिल हैं। ऐसे हस्तक्षेप उधारकर्ताओं की ऋणग्रस्तता को कम करने में सहायता करते हैं।

******